केस स्टडी

ऑडिट पैरा की यात्रा

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एंव ज्ञान संस्थान, जयपुर
द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम
Website: https://rtijaipur@cag.gov.in

विषयसूची

Sl. No.	Topics	Page No.
1	प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, जयपुर की डेस्क से	03
भाग 1 – केस स्टडी		
2	परिचय	04
3	मामले की पृष्ठभूमि एवं मुख्य बातें	04-06
भाग 2 – प्रशिक्षक के लिए शिक्षण नोट्स		
4	सारांश	07
5	शिक्षण और सीखने के उद्देश्य:	07
6	लक्ष्यित दर्शक	07
7	प्रासंगिक पठन	07
8	असाइनमेंट प्रश्न और कार्य	07
9	असाइनमेंट प्रश्नों के संभावित उत्तर	07
10	शिक्षण योजना	08
11	सुझाए गए शिक्षण तरीके	09
12	इसके बाद क्या हुआ	09
भाग 3- अनुलग्नक		
13	अनुलग्नक अ- पैरा विकास के विभिन्न चरणों के बारे में संक्षिप्त विवरण	10
14	अनुलग्नक आ- मामले के तथ्य (कार्य 1)	11-12
15	अनुलग्नक इ- विभाग का उत्तर (कार्य 2)	13
16	अनुलग्नक ई- विभिन्न चरणों में पैराग्राफ में किए गए परिवर्तन	14-15
17	अनुलग्नक उ- सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2014 का प्रासंगिक भाग	16-20
18	अनुलग्नक-ऊ- सीवीसी दिशानिर्देश/परिपत्र	21-24
19	अनुलग्नक-ए- कार्य की निविदा शर्तें	25-30
20	अनुलग्नक-ऐ- आईआर, एसओएफ, विभाग के पैरा के उत्तर का प्रासंगिक भाग, ड्राफ्ट पैरा	31-37
21	अनुलग्नक ओ- ऑडिट रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग जिसमें पैरा शामिल हुआ	38-41

प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, जयपुर की डेस्क से

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, जयपुर को "प्रदर्शन लेखा परीक्षा" विषय पर ज्ञान केंद्र के रूप में नामित किया गया है। आरसीबीएंडकेआई जयपुर ने ज्ञान केंद्र विषय पर संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के साथ-साथ उसे अद्यतन भी किया है।

गतिविधि के निर्धारित क्षेत्र में उत्कृष्टता की खोज में, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान ने "एक ऑडिट पैरा की यात्रा" पर केस स्टडी के रूप में दिलचस्प ऑडिट अवलोकन सामने लाने का प्रयास किया है। केस स्टडी "केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देशों का पालन न करना और ऑडिट के कहने पर उस पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई" शीर्षक वाले ऑडिट पैरा पर आधारित है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए C&AG की केंद्र सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय-सिविल) ऑडिट रिपोर्ट संख्या 10/2020 में पैरा संख्या 2.1 के रूप में छपा था। इस केस स्टडी में मामला सिर्फ ऑडिट पैरा के बारे में नहीं है, बल्कि "उस पैरा की विकास प्रक्रिया" से संबंधित है।

मुझे उम्मीद है कि पाठक केस स्टडी से लाभान्वित होंगे। यदि कोई सुझाव हो तो उनका स्वागत है, इससे हमें भविष्य में अन्य केस स्टडीज़ तैयार करने में मदद मिलेगी।. –

हस्ता/-

प्रधान निदेशक,

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, जयपुर

ऑडिट पैरा की यात्रा पर केस स्टडी

भाग 1 – केस स्टडी

परिचय

ऑडिट पैरा की यात्रा में ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करने से पहले ऑडिट अवलोकन की जांच के विभिन्न चरण शामिल होते हैं। ऑडिट की गई इकाई के रिकॉर्ड/खातों से कुछ अच्छे ऑडिट अवलोकन मिलने से लेकर ऑडिट के अंतिम उत्पाद यानी ऑडिट रिपोर्ट के निर्माण तक, ऑडिट पैरा के विकास की प्रक्रिया के दौरान कई बदलाव किए जाते हैं। इसमें जानकारी जोड़ना या अप्रासंगिक तथ्यों को हटाना, पैरा में संशोधन और सुधार और ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करने के लिए इसकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए जांच के प्रत्येक चरण के दौरान पैरा का फिर से मसौदा तैयार करना, फिर से आकार देना, फिर से व्यवस्थित करना या फिर से डिजाइन करना शामिल है। इस प्रकार, केस स्टडी प्रत्येक चरण की व्यापक खोज प्रदान करती है, जो ऑडिट प्रक्रिया के भीतर इसके महत्व और प्रासंगिकता पर जोर देती है।

केस स्टडी के उद्देश्य निम्न प्रकार है:

- प्रतिभागियों को ऑडिट पैरा की यात्रा और विभिन्न चरणों में ड्राफ्ट पैरा में विभिन्न परिवर्तनों की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना।
- प्रतिभागियों की पैरा को बनाए रखने के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय मानदंडों को उपयुक्त रूप से शामिल करने की क्षमता और ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट निष्कर्षों और निष्कर्षों का मसौदा तैयार करने के कौशल को बढ़ाना।
- चर्चा किए गए ड्राफ्ट पैराग्राफ का उद्देश्य ऑडिट पैराग्राफ की विकास के विभिन्न चरणों के माध्यम से यात्रा को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करना है।

मामले की पृष्ठभूमि:

अप्रैल **2015** से मार्च **2017** की अवधि के लिए फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट**,** नोएडा के खातों पर **27.04.2018** को जारी निरीक्षण रिपोर्ट में एक पैरा दिखाई दिया**,** जिसे फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट**,** नोएडा के कार्यालय में ऑडिट के दौरान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड- **II,** नई दिल्ली के कार्यालय की ऑडिट टीम द्वारा शुरू किया गया था। अभिलेखों की जांच के बाद ऑडिट टीम ने एक बड़ी (भाग- **II** ए) ऑडिट आपत्ति उठाई।

ऑडिट टीम द्वारा उठाई गई ऑडिट आपत्तियों के आधार पर तैयार किए गए ड्राफ्ट पैरा को सीएजी मुख्यालय ने स्वीकार कर लिया और ऑडिट रिपोर्ट में दिखाई दिया। पैरा का संक्षिप्त विवरण मुख्य कहानी के रूप में नीचे दिया गया है।.

मुख्य बातें

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (मंत्रालय)। फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान (संस्थान) के एक नियंत्रक मंत्रालय ने जून **2012** और फरवरी **2014** के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में छह स्थानों पर

एफडीडीआई परिसरों की स्थापना को मंजूरी दी और मंजूरी दी। मंत्रालय ने जनवरी **2014** में मौजूदा परिसरों में कैंपस नेटवर्किंग सेंटर (सीएनसी) की स्थापना को भी मंजूरी दी। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते करते समय, सरकारी संस्थाओं/विभागों को सरकार के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार के कोड और मैनुअल के माध्यम से निर्धारित पूर्व निर्धारित मानदंड और मानक ऐसे सुरक्षा उपायों का आधार बनते हैं। मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुसार, एफडीडीआई सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के सभी प्रासंगिक प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश/दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, टेंडर दस्तावेज़ में ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस निर्धारित करने का निर्णय संगठनों में बोर्ड (वित्त की सहमति के साथ) के स्तर पर होना चाहिए। इसके अलावा, सीवीसी ने कहा है कि ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, और यदि प्रबंधन को लगता है कि यह विशिष्ट मामलों में आवश्यक है, तो इसे टेंडर दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और इसकी वसूली समय आधारित होनी चाहिए और इसे कार्य की प्रगति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के अग्रिम का दुरुपयोग कम किया जा सके। साथ ही, मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए ली गई बैंक गारंटी अग्रिम का कम से कम 110 प्रतिशत होनी चाहिए और मोबिलाइजेशन एडवांस का भुगतान दो किस्तों से कम में नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय विशेष परिस्थितियों के, जिसके कारण दर्ज किए जाएंगे।.

इसके अलावा, पूंजीगत गहन कार्यों को निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम देने से संबंधित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) निर्माण मैनुअल की धारा 32.5 के प्रावधानों में कहा गया है कि निविदा राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित मोबिलाइजेशन अग्रिम 10 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ठेकेदारों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अनुरोध पर मंजूर किया जा सकता है और ऐसा अग्रिम कम से कम दो किस्तों में जारी किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने सीपीडब्ल्यूडी दिशा-निर्देशों के आधार पर अपनी निविदा को अंतिम रूप दिया है। निविदा दस्तावेज के अनुसार, संस्थान ने सीवीसी और सीपीडब्ल्यूडी के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनुबंध मूल्य पर 10 प्रतिशत की मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में शामिल किया है।

उपरोक्त छह परिसरों के निर्माण और मौजूदा परिसरों में सीएनसी की अवधि के दौरान, एफडीडीआई ने निर्माण कार्यों, आंतरिक कार्यों और फर्नीचर कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों को 45.13 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि उपलब्ध कराई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्थान ने मोबिलाइजेशन अग्रिम पर सीवीसी दिशा-निर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल का अनुपालन नहीं किया, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- संस्थान के बोर्ड यानी गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी के बिना ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया था।
- मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान दो किस्तों से कम नहीं के निर्धारित मानदंड के विरुद्ध एक ही किस्त में किया गया था।

- मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली समय-आधारित वसूली के बजाय चालू बिलों के भुगतान से की गई थी।
- संस्थान ने 110 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड के विरुद्ध मोबिलाइजेशन अग्रिम के 100 प्रतिशत पर बैंक गारंटी स्वीकार की।

उपरोक्त टिप्पणियों पर "केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन और लेखापरीक्षा के कहने पर उस पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई" शीर्षक वाला लेखापरीक्षा पैरा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए C&AG की संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय-सिविल) लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 10/2020 में पैरा संख्या 2.1 के रूप में छपा है (अनुलग्नक- I)

ऑडिट पैरा की यात्रा पर केस स्टडी

भाग 2 – प्रशिक्षक के लिए शिक्षण नोट्स

सारांश:

ऑडिटिंग में विरोधाभासी दृष्टिकोण ऑडिट अधिकारियों को ऑडिट अवलोकन की तथ्यात्मक सटीकता का आकलन करने के साथ-साथ अवलोकन के बारे में उनकी समझ का आकलन करने का अवसर प्रदान करता है। ऑडिटरों में विभिन्न चरणों में काउंटर व्यू का मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए और उपयुक्त मानदंडों सहित पैरा में मूल्य जोड़ना जारी रखना चाहिए जो प्रासंगिक, विश्वसनीय, पूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, समझने योग्य, तुलनीय, स्वीकार्य और उपलब्ध होना चाहिए। उपयुक्त मानदंडों द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ के ढांचे के बिना, कोई भी निष्कर्ष व्यक्तिगत व्याख्या और गलतफहमी के लिए खुला है।

जहां औपचारिक मानदंड अनुपस्थित हैं, वहां ऑडिट भी ठोस वित्तीय प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुपालन की जांच कर सकते हैं। नियमितता पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऑडिट और औचित्य पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऑडिट दोनों में उपयुक्त मानदंडों की आवश्यकता होती है, जो ऑडिट अवलोकन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण और मजबूत खंडन प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, पैराग्राफ की ताकत और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए ऑडिट निष्कर्षों को इसके विकास के विभिन्न चरणों के दौरान मानदंडों और ऑडिट साक्ष्य के खिलाफ परखा जाना आवश्यक है।

शिक्षण और सीखने के उद्देश्य:

ऑडिट पैरा की यात्रा का निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक मूल्यांकन करना।

लक्ष्यित दर्शक:

वरिष्ठ ऑडिट अधिकारी और सहायक ऑडिट अधिकारी जो फील्ड ऑडिट करने और निरीक्षण रिपोर्ट/ड्राफ्ट पैरा की जांच करने में अनुभवी हैं।

प्रासंगिक पठन:

भारत के C&AG कार्यालय द्वारा जारी अनुपालन ऑडिट दिशानिर्देश।

असाइनमेंट प्रश्न और कार्य:

1. क्या कंपनी का कार्य लागू नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप था?

2. यदि उपरोक्त 01 का उत्तर नहीं है, तो कंपनी की कार्रवाई में आपको क्या कमियाँ नज़र आईं?

3. उपलब्ध कराई गई जानकारी और दिए गए दस्तावेज़ों के अंशों के आधार पर एक प्रारंभिक अवलोकन ज्ञापन (पीओएम) तैयार करें।

4. विभाग के उत्तर को शामिल करके और ऑडिट खंडन को सम्मिलित करके एक मसौदा पैरा (पीडीपी) तैयार करें।

असाइनमेंट प्रश्नों के संभावित उत्तर

1. नहीं।

2. कंपनी का कार्य सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2014 और सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

3 और 4. व्यक्तियों/समूहों द्वारा तैयार किए गए पीओएम और पीडीपी की तुलना ऑडिट रिपोर्ट में दिखाई गई पैरा से की जा सकती है, जिसके बाद विभिन्न चरणों के माध्यम से विकास पर चर्चा की जाएगी।

शिक्षण योजना:

i. प्रतिभागियों को ऑडिट पैराग्राफ की यात्रा में विभिन्न चरणों के महत्व और पैराग्राफ के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रत्येक चरण में शामिल कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाएगी (अनुलग्नक ए)

ii. व्यक्तिगत प्रतिभागी को अध्ययन के लिए मामले के कच्चे तथ्य (अनुलग्नक बी) और मुख्य दस्तावेजों के अंश (अनुलग्नक ई से जी) दिए जाएंगे।

iii. इसके बाद, कक्षा को प्रत्येक समूह में लगभग 4-5 प्रतिभागियों के छोटे समूहों में विभाजित किया जा सकता है। प्रतिभागियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे मामले को देखें और केस स्टडी दस्तावेज़ में उठाए गए प्रश्नों के संभावित उत्तरों को तलाशने का प्रयास करें और दिए गए तथ्यों और मुख्य दस्तावेजों (कार्य 1) पर प्रारंभिक अवलोकन ज्ञापन (पीओएम) तैयार करें। एक बार जब समूह अपने पीओएम को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें ऑडिट की गई इकाई की प्रतिक्रिया (अनुलग्नक सी) प्रदान की जाएगी और फिर उन्हें अपने पीओएम को पीडीपी (कार्य 2) में बदलना होगा।

iv. समूह द्वारा केस स्टडी में उठाए गए मुद्दों के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, प्रत्येक समूह द्वारा कक्षा में मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक I) में प्रदर्शित पैरा की प्रति प्रतिभागियों के बीच वितरित की जा सकती है, ताकि वे अपने कार्य की तुलना अंतिम लेखापरीक्षा पैराग्राफ से कर सकें।

vi. इस केस स्टडी को पढ़ते और चर्चा करते समय, प्रतिभागी निम्नलिखित पर चर्चा कर सकते हैं या अपने विचार साझा कर सकते हैं:

a) सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में पैरा निर्माण के प्रारंभिक चरण में क्या कमी थी;

b) पैराग्राफ को बेहतर तरीके से कैसे विकसित किया जा सकता था;

c) इसके विकास के प्रत्येक चरण में कमियाँ और सकारात्मकताएँ;

d) विकास के प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन;

e) क्या कुछ महत्वपूर्ण छूट गया;

f) क्या ध्यान उन मुद्दों से अलग होना चाहिए था, जिन्हें सामने लाया गया था आदि।

सुविधाकर्ता अंतर/अंतर समूह चर्चा आरंभ करने में सहायता कर सकता है।

vii. चर्चा का क्षेत्र मोबिलाइजेशन एडवांस, ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस की समय पर वसूली, बैंक गारंटी की आवश्यक राशि, ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस प्रदान करके ठेकेदार को अनुचित लाभ की संभावना प्रदान करने का औचित्य भी हो सकता है। सुविधाकर्ता को चर्चा का संचालन करना चाहिए और अनुच्छेद के विकास चरणों के दौरान उसे बेहतर बनाने के लिए किए गए परिवर्तनों के महत्व पर प्रकाश डालना चाहिए।

सुझाए गए शिक्षण तरीके:

व्यक्तिगत प्रतिभागियों द्वारा पढ़ना, समूह में चर्चा और समूह प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुति, फिर सुविधाकर्ता द्वारा सारांश प्रस्तुत करना।

इसके बाद क्या हुआ:

ऑडिट अवलोकन के विकास की प्रक्रिया पर चर्चा करने के बाद, प्रतिभागियों को पैरा (अनुलग्नक एच) की विकास प्रक्रिया की प्रतियां प्रदान की जाएंगी। सुविधाकर्ता चर्चा किए गए मामले से उभरने वाले ऑडिट अवलोकन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें अनुलग्नक डी में विस्तार से बताया गया है।.

Section 3: Annexures

अनुलग्नक अ

अनिवार्य रूप से, ऑडिट पैराग्राफ की यात्रा में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

चरण 1: प्रारंभिक अवलोकन ज्ञापन (POM)

प्रारंभिक अवलोकन ज्ञापन (POM)/ऑडिट ज्ञापन ऑडिट प्रक्रिया की नींव के रूप में कार्य करता है। यह ऑडिट के शुरुआती चरणों के दौरान पहचाने गए प्रारंभिक अवलोकन, चिंताओं और संभावित मुद्दों को प्रस्तुत करता है। POM का उद्देश्य अंतिम ऑडिट रिपोर्ट जारी करने से पहले ऑडिट की गई इकाई को प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में सूचित करना है, जिससे उसे POM/ऑडिट ज्ञापन में हाइलाइट किए गए मुद्दों को संबोधित करने या अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने का अवसर मिलता है।

चरण 2: निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करना

ऑडिट की गई इकाई से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, ऑडिट टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्ट के भाग IIA या भाग IIB में शामिल किया जाता है। भाग IIA में महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्ष शामिल हैं, जबकि भाग IIB में अन्य आकस्मिक निष्कर्ष शामिल हैं। निष्कर्षों को यथासंभव भौतिकता और महत्व के घटते क्रम में संरचित किया जाता है।

चरण 3: तथ्यों का विवरण (एसओएफ)

उल्लेखनीय अवलोकन, जिन्हें पर्याप्त संभावना वाले भाग-IIए पैरा के रूप में पहचाना जाता है, तथ्यों के विवरण (एसओएफ) के रूप में विभागाध्यक्षों (एचओडी) को सूचित किए जाते हैं। एसओएफ ऑडिट टीमों और विभागाध्यक्षों के बीच संचार के रूप में कार्य करते हैं।

चरण 4: संभावित मसौदा पैरा (पीडीपी)

एसओएफ के संबंध में विभागाध्यक्ष से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर, इसे संभावित मसौदा पैरा (पीडीपी) में संसाधित किया जाता है।

चरण 5: मसौदा पैरा (डीपी)

यदि आगे की जांच में पाया जाता है कि पीडीपी में सीएजी की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने की क्षमता है, तो इसे सभी सहायक दस्तावेजों की आगे की जांच करके, अपेक्षित परिवर्तन/संशोधन करके और सीएजी मुख्यालय को भेजकर मसौदा पैरा में परिवर्तित किया जा सकता है।

चरण 6: अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना

क्षेत्रीय लेखा परीक्षा कार्यालयों द्वारा अग्रेषित डीपी की आगे की जांच की जाती है, और सीएजी मुख्यालय में संबंधित कार्यात्मक विंग द्वारा इसकी जांच की जाती है। इसके बाद, अनुमोदित मसौदा अनुच्छेदों को CAG की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में एकीकृत किया जाता है।

अनुलग्नक आ

कार्य 1

मामले के तथ्य

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान का नियंत्रक मंत्रालय, ने जून **2012** से फरवरी **2014** के बीच देश के विभिन्न भागों में छह स्थानों (हैदराबाद, पटना, गुजरात, पंजाब, छिंदवाड़ा और गुना) पर एफडीडीआई परिसरों की स्थापना को मंजूरी दी।

मंत्रालय ने जनवरी **2014** में मौजूदा परिसरों में कैंपस नेटवर्किंग सेंटर (सीएनसी) की स्थापना को भी मंजूरी दी।

स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार, एफडीडीआई सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के सभी प्रासंगिक प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश/दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

संस्थान ने सीपीडब्ल्यूडी दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी निविदा को अंतिम रूप दिया है।

निविदा दस्तावेज के अनुसार, संस्थान ने अनुबंध मूल्य पर **10** प्रतिशत की मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में शामिल किया है।

उपरोक्त छह परिसरों के निर्माण और मौजूदा परिसरों में सीएनसी की अवधि के दौरान, एफडीडीआई ने निर्माण कार्यों, आंतरिक कार्यों और फर्नीचर कार्यों के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विभिन्न ठेकेदारों को एकल किस्त में मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया है:

(in Rs. crore)

Sr. No.	**Name of the work**	**Name of the Contractor**	**Contract Value**	**Mobilization Advance**	**Bank guarantee received.**
Construction Works					
1	Hyderabad campus	Bhavya Creators Pvt. Ltd	70.66	7.07	7.07
2	Patna campus	Bhavya Creators Pvt. Ltd	70.23	7.02	7.02
3	Gujarat campus	Goldman developers Ltd.	67.02	6.7	6.7
4	Punjab campus	Anurag Enterprises	68.97	6.9	6.9
5	Chhindwara campus	Bhavya Creators Pvt. L.td.	54.3	5.44	5.44
6	Guna campus	Anurag Enterprises	69.95	6.99	6.99
7	Noida New Building	Anurag Enterprises	15.55	1.56	1.56
Furniture Works					
8	Hyderabad campus	Royal Safe Company	5.05	0.5	0.5
9	Gujarat campus	JPG Engineers Pvt. Limited	4.58	0.46	0.46

10	Guna campus	JPG Engineers Pvl. Limited	2.97	0.3	0.3
Interior Works					
11	Hyderabad campus	JPG Engineers Pvt. Limited	5.81	0.58	0.58
12	Gujarat campus	Vastu Sadan	5.75	0.58	0.58
13	Punjab campus	Manu Lal and Sons	5.53	0.55	0.55
14	Guna campus	JPG Engineers Pvt. Limited	4.74	0.48	0.48
Total			451.19	45.13	

आपको उपरोक्त तथ्यों के साथ कुछ दस्तावेजों का एक अंश प्रदान किया गया है। अब इनके आधार पर, उपरोक्त पैरा की जांच करें और निम्नलिखित प्रयास करें:

कार्य:

1. क्या कंपनी का कार्य लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप था?
2. यदि उपरोक्त 01 का उत्तर नहीं है, तो कंपनी की कार्रवाई में आपको क्या कमियाँ नज़र आईं?
3. दी गई जानकारी और दिए गए दस्तावेजों के अंशों के आधार पर एक प्रारंभिक अवलोकन ज्ञापन (POM) तैयार करें।

अनुलग्नक इ

कार्य 2

विभाग का उत्तर

निविदा दस्तावेजों का खंड 67 (सी) जो मोबिलाइजेशन अग्रिम को कवर करता है, इस प्रकार है:

ठेकेदार को अनुबंध मूल्य का 10% ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाएगा। अग्रिम राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुमोदित निजी बैंक से बैंक गारंटी के विरुद्ध किया जाएगा। मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि निष्पादित कार्य से पहले अंतरिम प्रमाण पत्र से शुरू होकर प्रत्येक चालू बिल से आनुपातिक आधार पर वसूल की जाएगी और पूरी वसूली भुगतान के अंतिम प्रमाण पत्र द्वारा पूरी की जाएगी। प्रस्तुत बैंक गारंटी अनुबंध में निर्धारित पूरे कार्य के पूरा होने की तारीख तक वैध होगी, जब तक कि अग्रिम राशि वसूल नहीं हो जाती।

मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि प्रत्येक चालू बिल से 12% की दर से वसूल की जाएगी, जब तक कि यह पूरी तरह से वसूल न हो जाए। हालांकि, मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि अनुबंध मूल्य के 90% के भुगतान से पहले पूरी तरह से वसूल की जाएगी।

इस धारा के अनुसार, ठेकेदारों को उसी राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में निविदा राशि का 10% भुगतान किया गया था। अग्रिम राशि बाद में ठेकेदार के चालू बिलों से वसूल की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम केवल तभी बढ़ाया जाना चाहिए जब आवश्यक हो और बोर्ड की उचित मंजूरी के साथ। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि ऐसे अग्रिम के लिए ली गई बैंक गारंटी अग्रिम राशि का कम से कम 110 प्रतिशत होनी चाहिए और सामान्य परिस्थितियों में ऐसा अग्रिम दो किस्तों से कम में जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूंजी गहन कार्यों को निष्पादित करने वाले ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम 10 प्रतिशत साधारण ब्याज पर निविदा राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए और इसे दो किस्तों से कम में जारी नहीं किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि निविदा दस्तावेज का खंड 67 (सी) उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है और इस निविदा खंड का सहारा लेने से ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने के कारण 4.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हालांकि, बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा इन गलतियों को प्रकाश में लाए जाने के बाद, एफडीडीआई ने मोबिलाइजेशन अग्रिम देना बंद कर दिया।

विभाग के उत्तर को शामिल करके और लेखापरीक्षा खंडन को सम्मिलित करके एक मसौदा पैरा (पीडीपी) तैयार करें।

अनुलग्नक-ई

विभिन्न चरणों में पैरा में किये गये परिवर्तन.

अप्रैल 2015 से मार्च 2017 की अवधि के लिए एफडीडीआई के खाते पर जारी निरीक्षण रिपोर्ट में पैरा (भाग II ए)

आईआर में पैरा का संक्षिप्त सारांश
सीपीडब्ल्यूडी कार्य मैनुअल में मोबिलाइजेशन एडवांस के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल की धारा 32.5 में 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निर्दिष्ट कार्यों के संबंध में मोबिलाइजेशन एडवांस के विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान है: 10 प्रतिशत साधारण ब्याज तक सीमित: कम से कम दो किस्तों में।
लेखापरीक्षा में पाया गया कि एफडीडीआई ने विभिन्न ठेकेदारों को (चौदह मामलों में) 45.13 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि एकल किश्त में प्रदान की।
इस प्रकार, ब्याज खंड के अभाव में मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने के परिणामस्वरूप 4.60 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई।

तथ्यों का विवरण (एसओएफ) जारी करने के चरण में पैरा (भाग IIए) में किए गए परिवर्तन

जोडा गया
सीवीसी द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम पर जारी दिशा-निर्देशों को एसओएफ में शामिल किया गया
लेखापरीक्षा अवलोकन में यह तथ्य सामने आया कि बोर्ड (शासी परिषद) के अनुमोदन के बिना मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि प्रदान की गई तथा इसे कार्य की प्रगति के साथ जोड़कर वसूली की गई, जो कि सी.वी.सी. के दिशानिर्देशों (जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि समयबद्ध वसूली की जाएगी) का उल्लंघन है।
संस्थान ने निर्धारित मानदंड 110 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत बीजी ली।
जोड़ने का कारण
सीवीसी द्वारा जारी मोबिलाइजेशन एडवांस पर दिशा-निर्देशों को कमजोर आंतरिक नियंत्रण की ओर इंगित करने के लिए जोड़ा गया। आवश्यकता से कम राशि के बीजी की स्वीकृति को सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों के गैर-अनुपालन को इंगित करने के लिए जोड़ा गया।
बोर्ड की मंजूरी के बिना अग्रिम राशि देने के तथ्य को उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट न करने के तथ्य पर जोर देने के लिए जोड़ा गया।

मुख्यालय/मंत्रालय को ड्राफ्ट पैरा (डीपी) जारी करने के चरण में एसओएफ में किए गए परिवर्तन

जोडा गया
पैरा को परिष्कृत किया गया तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों को बिन्दुओं (बुलेट फॉर्म) में शामिल किया गया

एफडीडीआई द्वारा प्रदान की गई अग्रिम लामबंदी का विवरण देने वाली तालिका को एसओएफ के मुख्य भाग से अनुलग्नक में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अनुमोदन के दौरान मुख्यालय द्वारा ड्राफ्ट पैरा में किए गए परिवर्तन।

जोडा गया
लेखापरीक्षा अवलोकन पर प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई को अनुमोदित डी.पी. में शामिल किया गया है।
जोड़ने का कारण
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों को दूर करने के लिए प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई पर डी.पी. के अंतिम भाग में प्रकाश डाला गया।

अनुलग्नक उ

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

CPWD WORKS MANUAL 2014

Published Under The Authority of Director General CPWD,
Nirman Bhawan, New Delhi
(Incorporating Amendments upto OM No. DG/MAN/312 dated. 4/7/2014)

SECTION 32

ADVANCE PAYMENTS

32.1 Advance payment for work done and measured

(1) Advance payments to contractors against on account bills received in the Divisional Office may be made by the Divisional Officers, on receipt of an application from the contractor for financial aid in the shape of part payment, shall make a lump-sum advance payment on Hand Receipt Form 28, subject to the following conditions:

(i) The bill in respect of which the advance is proposed to be made should actually be under check in the Divisional Office.

(ii) The amount of advance should not exceed 80% of the net amount of the bill under check, but no advance payment will be admissible in cases where the amount of advance payable works out to less than Rs. 20,000. *(Modified as per OM/MAN/233)*

(iii) The payment should be suitably endorsed both on the running bill against which the advance payment is made and the connected abstract of measurements in the Measurement Book. The Hand Receipt voucher on which payment is made should bear reference to the number, date and amount of the bill against which the payment is made, and also to the page number of Measurement Book and the number, date and amount of the voucher, if any, on which the previous on account payment was made. The payment should be treated in the accounts as an advance.

(iv) Before making payment, an undertaking should be obtained from the contractor to the extent that, should the amount of advance paid to him is subsequently found to be more than the amount of the running account bill in respect of which the advance was paid, he will refund to Government forthwith the amount overpaid. The Divisional Officer shall ensure that the advance is adjusted when payment is made on the running account bill in respect of which it was made, and for any overpayment which may occur.

(v) A record of advances authorized by the Executive Engineer shall be kept in a special register which should be inspected by the Superintending Engineer at the time of his inspection of the Divisional Office.

(vi) Grant of a 2nd advance before the first one has been recovered shall not be permitted.

32.2 Advance payment for work done but not measured

(1) The following rules should be observed with regard to advance payments made to contractors for work done but not measured:

(a) Advances to contractors are, as a rule, prohibited and payments to contractors should not be made until detailed measurements of the work have been taken and recorded. Advance payments may, however, be made in cases of real necessity, when it is essential to do so, and in such cases previous sanction of the ***Chief Project Manager/Project Manager/*** Superintending Engineer concerned should invariably be obtained. (Modified vide OM DG/ MAN/255 dt. 07.12.2012)

(b) An advance payment for work actually executed may be made on the certificate of a responsible officer (not below the rank of Sub-Divisional Officer) to the effect that not less than the quantity of work paid for has actually been done, and the officer granting such a certificate shall ensure that no overpayment occurs on the work in consequence.

(c) The certificate printed on the Running Account bill must be signed by the Sub-Divisional or Divisional Officer, and the lump-sum amount paid on account of the several items should be specified against item 2 of Part III of the bill.

(d) If a secured advance has been previously allowed to a contractor on the security of any materials and such materials have been used in the construction of an item, the amount of the advance payment far that item should not exceed a sum equivalent to the value of work done less the proportionate amount of secured advance ultimately recoverable on account of the materials used.

(e) When an advance payment has been authorized by the competent authority, it would be followed by detailed measurements within 2 months at the most. Beyond 2 months, the approval of Chief Engineer will be necessary.

(f) The grant of a second advance before the first one has been recovered shall not be permitted except with the prior approval of Chief Engineer incharge.

(2) Advance payments for work done but not measured should be made on bill Form no. CPWA 26, and the same be classified in the works accounts under suspense Sub-Head "Advance Payments". No such payment must be made on Hand Receipt.

32.3 Advance payment to private firms/autonomous bodies for chemical analysis and testing of materials

(1) A list of laboratories for chemical analysis and testing shall be approved by the Superintending Engineer. Advance payment may be made by the Executive Engineer to an enlisted laboratory, and for this purpose no further approval shall be necessary.

(2) The amount of advance shall be drawn on a simple receipt and accounted for under the final head to which the expenditure on services in question would be debited.

32.4 Secured advances

(1) Secured Advances on the security of materials brought to site may be made to the contractors for items which are to be used on work.

(2) The Divisional Officers can sanction the secured advance up to an amount not exceeding 90% of the value of the materials as assessed by the Engineer-in-charge, or an amount not exceeding 90% of the material element cost in the tendered rate of the finished item of work, whichever is lower.

(3) A formal agreement should be drawn up with the contractor under which Government secures a lien on the materials and is safeguarded against losses due to the contractor postponing the execution of the work or due to shortage or misuse of the materials, and against the expense entailed for their proper watch and safe custody.

(4) Payment of such advances should be made only on the certificate of an officer not below the rank of Sub-Divisional Officer that:

(i) The quantities of materials for which the advances are made have actually been brought to site.

(ii) Full quantities of the materials, for which advance is to be made, are required by the contractor for use on items of work for which rates for finished work have been agreed upon.

(iii) The quality of materials is as per the specifications.

(5) Recoveries of advances so made should not be postponed until the whole of the work entrusted to the contractor is completed. They should be made from his bills for work done as the materials are used, the necessary deductions being made whenever the items of work in which they are used are billed for.

(6) Secured advance shall be granted only for non-perishable items. It can however, be granted for perishable items after the contractor indemnifies the Government through an insurance cover. The Divisional Officer shall identify whether an item is perishable or not.

32.4.1 Stage payments not to be treated as secured advances

Where stage payments are stipulated in certain contracts, like for E&M and other specialized works, such payments shall not be treated as secured advance.

32.5 Grant of mobilization advance to the contractors for executing capital intensive works

In respect of certain specialized and capital-intensive works with estimate cost put to tender Rs. 2.00 crores and above, provision of mobilization advance may be kept in the tender documents. Chief Engineers should use their discretion carefully in deciding whether any particular work shall be considered as specialized or capital intensive one. Applicability or otherwise of relevant clause of GCC shall be clearly indicated in Schedule 'F', while finalizing NIT of a particular work.

(i) The Mobilization advance limited to 10% of tendered amount at 10% simple interest can be sanctioned to the contractors on specific request as per term of the contract.

(ii) The mobilization advance shall be released only after obtaining a bank Guarantee bond from a schedule bank for the amount of advance to be released and valid for the contract period. This shall be kept renewed time to time to cover the balance amount and likely period to complete recovery together with interest. *(Modified as per OM/MAN/160)* The advance should be released in not less than two instalments. The interest on the advance shall be calculated from the date of payment to the date of recovery, both days inclusive.

(iii) It shall be ensured that at any point of time, Bank Guarantee is available for the amount of outstanding advance. *(Modified as per OM/MAN/160)*

(iv) The recovery should be commenced after 10% of work is completed and the entire amount together with interest shall be recovered by the time 80% of the work is completed.

32.6 Grant of advance for plant and machinery and for shuttering material

(1) An advance for plant and machinery that are required for the work and brought to site by the contractor may be given if requested by him in writing within one month of bringing them to site. Such an advance may be given if the Engineer-in-charge feels that the plant and machinery would add to the expeditious execution of the work and improve the quality of the work.

(2) The amount of advance shall be restricted as follows:

(i) For new plant and machinery 5% of the tendered value, or 90% of the price of such new plant and machinery paid by the contractor [for which he shall produce satisfactory evidence to the Engineer-in-charge], whichever is lower.

(ii) For second hand and used plant and machinery 5% of the tendered value, or 50% of the depreciated value of the plant and machinery [as may be decided by the Engineer-in-charge], whichever is lower. The contractor, if so required by the Engineer-in-charge, shall submit the statement of value of such old plant and machinery duly approved by a registered valuer recognized by the Central Board of Direct Taxes under the Income Tax Act, 1961.

(3) No such advance shall be paid on any plant and machinery of perishable nature, or of value less than Rs. 50,000.

(4) 75% of such amount of advance shall be paid after the plant and machinery is brought to the site, and balance 25% on their successful commissioning.

(5) The recovery should be commenced after 10% of work is completed and the entire amount together with interest shall be recovered by the time 80% of the work is completed.

(6) The contractor shall be at liberty to take away the plants and machinery after the advance(s) along with the interest due on it(them) is(are) realized by the Department, and in the opinion of the Engineer-in-charge, they are not required at site for the execution of the balance items of work.

32.6.1 Leasing of equipment

Leasing of equipment shall be considered at par with purchase of equipment, and shall be covered by tripartite agreement with the following:

(i) Leasing company which gives certificate of agreeing to lease equipment to the contractor,

(ii) Engineer-in-charge, and

(iii) Contractor.

32.6.2 Hypothecation of equipments

(1) All such plant and machinery, for which payment of advance is requested by the contractor, shall be hypothecated to the Government before the payment of advance is released.

(2) The contractor shall not be permitted to remove from the site such hypothecated plant and machinery without the prior written permission of the Engineer-in-charge.

(3) The contractor shall be responsible for maintaining such plant and machinery in good working order during the entire period of hypothecation, failing which such advance shall be recovered in lump sum

32.6.3 Insurance of equipments

(1) The contractor shall insure, at his cost, the plant and machinery for which mobilization advance is sought and given, for a sum sufficient to provide for their replacement at site.

(2) Any amount that is not recovered from the insurers shall be borne by the contractor.

32.6.4 Advance for shuttering materials

Steel scaffolding and formwork shall be treated as plant and machinery for the purpose of grant of advance. All provisions under para 32.6 and up to para 32.6.3 shall apply for this purpose.

अनुलग्नक ए

No.4CC-1-CTE-2
Government of India
Central Vigilance Commission
*****

Satarkta Bhawan, Block –A,
4th Floor, GPO Complex,
INA, NEW DELHI-110 023.

10 APR 2007

OFFICE MEMORANDUM/ CIRCULAR No. 10/4/07

Sub: **Mobilisation Advance**

Commission has reviewed the existing guidelines on 'Mobilisation Advance' issued vide OM No.UU/POL/18 dated:08.12.97and OM No. 4CC-1-CTE-2, dated 08.06.2004.

The following guidelines are issued in supercession of earlier guidelines issued by the Commission on 'Mobilisation Advance'

1. Provision of mobilization advance should essentially be need-based. Decision to provide such advance should rest at the level of Board(with concurrence of Finance) in the organization.

2. Though the Commission does not encourage interest free mobilization advance, but, if the Management feels its necessity in specific cases, then it should be clearly stipulated in the tender document and its recovery should be time-based and not linked with progress of work. This would ensure that even if the contractor is not executing the work or executing it at a slow pace, the recovery of advance could commence and scope for misuse of such advance could be reduced.

3. Part 'Bank Guarantees' (BGs) against the mobilization advance should be taken in as many numbers as the proposed recovery instalments and should be equivalent to the amount of each instalment. This would ensure that at any point of time even if the contractor's money on account of work done is not available with the organization, recovery of such advance could be ensured by encashing the BG for the work supposed to be completed within a particular period of time.

4. There should be a clear stipulation of interest to be charged on delayed recoveries either due to the late submission of bill by the contractor or any other reason besides the reason giving rise to the encashment of BG, as stated above.

5. The amount of mobilistion advance; interest to be charged, if any; its recovery schedule and any other relevant detail should be explicitly stipulated in the tendered document upfront.

6. Relevant format for BG should be provided in the tender document, which should be enforced strictly and authenticity of such BGs should also be invariably verified from the issuing bank, confidentially and independently by the organization.

7. In case of 'Machinery and Equipment advance', insurance and hypothecation to the employer should be ensured.

8. Utilization certificate from the contractor for the mobilization advance should be obtained. Preferably, mobilization advance should be given in instalments and subsequent instalments should be released after getting satisfactory utilisation certificate from the contractor for the earlier instalment.

P. Varma

(P. VARMA)
Chief Technical Examiner

Copy to :-

All CVOs : Ministries / Departments / PSUs / Banks / Uts.

Satarkta Bhawan, Block A
GPO Complex INA,
New Delhi- 110 023
Dated the 5th February 2008

Corrigendum

Circular No.5/2/08

Subject: Mobilisation Advance.

The Commission has reviewed the existing guidelines on 'Mobilisation Advance' circular No.10/4/07 (issued vide OM No. 4CC-1-CTE-2 dated 10.4.2007) Para 1 of the above circular may be read as under-

"Decision to stipulate interest free mobilization advance in the tender document should rest at the level of Board (with concurrence of finance) in the organizations. However, in case of interest bearing mobilization advance, organizations may delegate powers at appropriate levels such as the CMD or Functional Directors."

5/2/2008 (Vineet Mathur)
Deputy Secretary

All Chief Vigilance Officers

No. 01-11-CTE-SH-100
Central Vigilance Commission
****

Satarkta Bhawan, Block 'A'
GPO Complex, I.N.A.,
New Delhi- 110023
Dated the 17th Feb, 2011

Circular No. 02/02/11

Sub: Mobilization Advance

Commission had earlier issued guidelines on granting of 'Mobilisation Advance' vide OM No. UU/POL/18 dated 08.12.1997, OM No. 4CC-1-CTE-2 dated 08.06.2004 and OM No. 4CC-1-CTE-2 dated 10.04.2007.

2. The matter has been further reviewed and it has decided by the Commission that following additional guidelines may be followed in case of grant of Mobilisation Advance.

(i) The Bank Guarantee etc. taken towards security of 'Mobilisation Advance' should be at least 110% of the advance so as to enable recovery of not only principal amount but also the interest portion, if so required.

(ii) The mobilisation advance should not be paid in less than two instalments except in special circumstances for the reasons to be recorded. This will keep check on contractor misutilizing the full utilisation advance when the work is delayed considerably.

(iii) A clause in the tender enquiry and the contract of cases providing for interest free mobilisation advances may be stipulated that if the contract is terminated due to default of the contractor, the 'Mobilisation Advance' would be deemed as interest bearing advance at an interest rate of _____%, (*to be stipulated depending on the prevailing rate at the time of issue of NIT*) to be compounded quarterly.

(Anil Singhal)
Chief Technical Examiner

To

All Chief Vigilance Officers

अनुलग्नक ऐ

FOOTWEAR DESIGN AND DEVELOPMENT INSTITUTE

(Ministry Of Commerce & Industry)
Government of India
A-10/A, SECTOR-24, NOIDA – 201301 (UP)

Volume-1 (Part-I & II)

TERMS AND CONDITIONS FOR CONTRACTOR & TECHNICAL BID

FOR "Construction and Development of FDDI at Hyderabad (AP)

LOCATION: **LIDCAP CAMPUS, HS DURGA, GACHIBOWLI, BIDAR-HYDERABAD ROAD, NH-9, HYDERABAD (AP)**

(Comprising qualification criteria for contractor, Notice Inviting Tender, Conditions Of Contract, Specifications and drawings)

Client

FOOTWEAR DESIGN AND DEVELOPMENT INSTITUTE
A-10/A, Sector-24, NOIDA – 201 301
Gautam Budh Nagar
Uttar Pradesh , India
Tel.- +91-120-4500100
Fax no. : + 91-0120-2411301
Web site- fddiindia.com
E-mail- contact@fddiindia.com

Architect/Consultant

"M/s Vyom"
D-160- A, IIIrd FlOOR
OKHLA –PHASE-1
NEW DELHI-20
www.info@vyom.in

NAME AND ADDRESS OF THE TENDERER

.....

.....

.....

FDDI **PARTY**

certificate. Issuance of such certificates by Technical consultant/Project-in-charge shall however, not in any manner, relieve the Contractor of his responsibilities and obligations under the Contract

64.6 Pending consideration of extension of date of completion interim payments shall continue to be made as herein provided.

65.0 TIME LIMIT FOR PAYMENT OF FINAL BILL

65.1 The final bill shall be submitted by Contractor within three months of physical completion of the works. No further claims shall be made by the Contractor after submission of the final bill and these shall be deemed to have been waived and extinguished. Payment of these items of the bill in respect of which there is no dispute and of items of dispute, for quantities and at rates as approved by Technical consultant/Project-in-charge shall be made within the period -6-months, the period being reckoned from the date of receipt of the bill by the Technical consultant.

65.2 After payment of the amount of the final bill payable as aforesaid has been made, the Contractor may, if he so desires, reconsider his position in respect of the disputed portion of the final bill and if he fails to do so within 90 days, his disputed claim shall be dealt with as provided in the Contract.

66.0 CONTRACT PRICE ADJUSTMENT

All rates quoted by the bidder shall be firm rates and will be applicable till the period of completion and shall not be varied / enhanced under any circumstances including any variation in the market rate/price of such item or /and due to other items having an impact on the cost/rate of such item until and unless specified otherwise in this document.

67.0 Mobilizations advance / Loans against material

67.1 Mobilizations/ loans will be given after supply of material/tools (against bank guarantee) certified by Architect or consultant and, if required by the Contractor, be given as under within one weeks of submission of application by him subject to other conditions being fulfilled and the Technical consultant/Project-in-charge certifying the sum to which the Contractor is entitled by way of mobilization.

a) for plant and equipment specifically acquired for the work and brought to Site, at 75% of the purchase price of new machinery; against production of documents in support thereof and subject to the condition that the Engineer-in-charge considers the price reasonable and that such plant and equipment are necessary for the Works and not in excess of requirements and are hypothecated in favour of the FDDI in the form required by the FDDI. Interest on the sum outstanding shall be levied at the percentage mentioned in Schedule 'A'.

b) a lump sum mobilization not exceeding 10% of the Contract sum against the material supplied at site. The mobilization shall be utilized for the purpose of this Contract only and for no other purpose.

Provided that if a request for mobilization is made by the Contractor

against both the aforementioned provisions of this Condition, viz. (a) & (b) the total sum be given as mobilization shall not exceed 10% of the Contract Sum.

c) **Mobilization advance** –The contractor shall be paid 10% of the contract value as interest free mobilization advance. The advance shall be paid against bank guarantee from any nationalized bank /approved Pvt Bank to be furnished by he contractor. Mobilization advance shall be recovered from each running bill on prorate basis commencing from the first interim certificate from the work executed and entire recovery shall be completed by the re final certificate of payments. The bank guarantee furnished shall be veiled up to date of completion entire work as stipulated in the contract till the time when the advance has been recovered.
Mobilization advance shall be recovered @ 12%from each running bill till it is fully recovered. However mobilization advance shall be recovered completely before the payment of 90 % of contract value.

67.2 Recovery of the sums of mobilization against (a) and (b) above shall be made by deduction from the on account payments referred to in Condition 64 and as mentioned in Schedule 'A' in suitable percentages in relation to the progress, as fixed by the Engineer-in-Charge, so that all the sums mobilization be fully recovered by the time work amounting to nearly 90% of the Contract Sum is completed. If the amount payable under any-interim bill is not sufficient to cover all deductions to be made for sums mobilization and other sums deductible there from, the balance outstanding shall be deducted from subsequent interim bill as may be necessary, failing that, as otherwise provided for in the Contract.

67.3 If for any reason, except a default of the Contractor, the work under the Contract is suspended or is to be suspended for more than 15 days, the Contractor shall be at liberty to remove the plant and equipment or any part thereof hypothecated to the FDDI under clause no. 67.0(a) above to any other works site of the Contractor for carrying on his other works, on his furnishing prior to such removal, a bank guarantee acceptable to the FDDI for the amount of the outstanding mobilization granted under clause 67.0(a) above with interest and undertaking to bring back to the Site, before expiry or the period of suspension, the Plant and Equipment as may be necessary for completion of the Works. If such Plant and Equipment are not brought back, the Contractor shall forthwith repay the amount of the mobilization outstanding with interest.

68.0 OVERPAYMENTS AND UNDERPAYMENTS

68.1 Whenever any claim for the payment of a sum of money to the FDDI arises out of or under this Contract against the Contractor the same may be deducted by the FDDI from any sum then due or which at any time thereafter may become due to the Contractor under this Contract and failing that under any other Contract with the FDDI or from any other sum due to the Contractor from the FDDI which may be available with the FDDI or from his security deposit; or he shall pay the claim on demand.

68.2 The FDDI reserves the right to carry out post payment audit and technical examination, of the final bill including all supporting vouchers, abstracts, etc.

FOOTWEAR DESIGN AND DEVELOPMENT INSTITUTE

(Ministry of Commerce & Industry)

Government of India

A-10/A, SECTOR-24, NOIDA – 201301 (UP)

Volume-1 (Part-I & II)

TENDER FOR

FOR SUPPLY OF FURNITURE, AT FDDI, LIDCAP CAMPUS, HS DURGA, GACHIBOWLI, BIDAR-HYDERABAD ROAD, NH-9, HYDERABAD (AP)

(Comprising qualification criteria for contractor, Notice Inviting Tender, Conditions Of Contract, Specifications and drawings)

Client

FOOTWEAR DESIGN AND DEVELOPMENT INSTITUTE
A-10/A, Sector-24, NOIDA – 201 301
Gautam Budh Nagar
Uttar Pradesh , India
Tel.- +91-120-4500100
Fax no.: + 91-0120-2411301
Web site- fddiindia.com
E-mail- contact@fddiindia.com

NAME AND ADDRESS OF THE TENDERER

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

GCC AND NOTICE INVITING TENDER

NAME OF WORK: FOR SUPPLY OF FURNITURE AT HYDERABAD (AP)

1.0 INTRODUCTION

1.1 FDDI invites sealed bids for the above mentioned work from the Empanelled contractors.

2.0 BRIEF SCOPE OF WORK AND TIME SCHEDULE

2.1 The scope of work shall include the **FOR SUPPLY OF FURNITURE IN FDDI AT HYDERABAD (AP)**

2.2 Time Schedule for Completion of Work: 10 Months from date of award.

3.0 SALIENT FEATURES OF BIDDING DOCUMENT

A.	NAME OF WORK :		**SUPPLY OF FURNITURE IN FDDI, HYDERABAD (AP)**
B	SCOPE OF WORK	:	As detailed in tender documents.
C	COMPLETION TIME	:	Maximum 10 months from the date of LOI/ Brief order.
D	SALE OF BID DOCUMENT	:	From 10/7/2014 upto 1700 hrs on 29/7/2014.
E	COST OF BID DOCUMENT	:	Rs 2500/- including tax (NON- REFUNDABLE)
F	EARNEST MONEY DEPOSIT	:	Rs 10.47 lacs/- in form of D/D or BG OR FDR in Prescribed format
G	LAST DATE, TIME & VENUE FOR RECEIPT OF TENDER	:	1500 HRS on 30/7/2014 IN THE OFFICE FDDI AT A-10A SECTOR-24, NOIDA, U.P.
H	OPENING OF BIDS (including Price Bid) : BID		1530 hrs on 30/7/2014 In presence of authorized representative of attending bidders in FDDI At A-10A Sector -24, Noida, U.P.
J	Validity of bids :		4 months from date of bid opening
K	Estimated value of contract :		Rs. 349 lacs approx.

revise the work in a manner to conform to the relevant drawings, procedures and specifications.

15.4 The Contractor shall carry out required supervision and inspection as per Quality Assurance Plan and furnish all assistance required by the OWNER in carrying out inspection work during this phase. The owner will have engineers, inspectors or other authorized representatives present who are to have free access to the work at all time. If an Owner's representative notifies the Contractor's authorized representative of any deficiency, or recommends action regarding compliance with the specifications, the Contractor shall make every effort to carry out such instructions to complete the work conforming to the specifications and approved drawings in the fullest degree consistent with best industry practice.

15.5 Owner have appointed M/s The Creations as their Technical Consultant for this project, who will carryout all inspections & supervisions of work on behalf of the owner in conjunction with owner's representative/ engineers.

16.0 Measurement of works:

For all payment purposes, measurements shall be based on the execution drawings. Wherever details are not available or inadequate in the execution drawings, physical measurements shall be taken by the Contractor in the presence of representative of the Engineer-in-Charge. In such cases, payment shall be made on actual measurements. Measurement will be made in units indicated in Schedule of Rates.

16.1 Measurement of weights shall be in metric tonnes corrected to the nearest kilogram.

16.2 Linear measurement shall be in meters corrected to the nearest centimeter.

16.3 Wherever the unit of items has been indicated as lump sum, the payment shall be made on lump sum basis on completion and interim measurement shall be applicable.

17.0 Terms of payment:

Payment will be made through monthly running account bills based on joint measurements with Engineer-in-Charge/Technical consultant against the work done during the preceding month on the basis of item rates as accepted in the contract in following manner for all items:

a) 10% of the contract value as mobilization advance against a bank guarantee/FDR pledging in the name of the 'Owner' valid for a period of nine months.
b) Maximum 60% pro-rata payment against the supply of equipment or materials, Furniture, works at site as identified and approved as per BOQ after due verification by the site In-charge appointed by the owner. Engineer In-charge has right to release the payment as per the quality and quantity of work executed.
c) 20 % after successful qualitative completion of job, duly certified by Engineer Incharge appointed by FDDI
d) Balance 10% amount will be retained for a period of 12 months from the date of 'virtual completion'. This amount may be released after virtual completion of project against submission of equal amount Bank Guarantee /FDR pledging in the name of the 'Owner' valid for the equivalent period.
e) The owner shall make appropriate deductions of the taxes from the payments as applicable from time to time as per the statutory requirement.
f) All taxes shall be borne by the contractor and the rates quoted shall be inclusive of all

अनुलग्नक ऊ

अप्रैल 2015 **से मार्च** 2017 **तक की अवधि के लिए फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई), नोएडा के खातों पर निरीक्षण रिपोर्ट का अंश**

भाग II ए

पैरा 1: **सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के उल्लंघन में निविदा दस्तावेज में मोबिलाइजेशन एडवांस पर ब्याज खंड को शामिल न करने के कारण** 4.60 **करोड़ रुपये की परिहार्य हानि।**

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) के नियंत्रक मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी स्तरों पर फुटवियर एवं चमड़ा उत्पाद उद्योग में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में छह स्थानों पर एफडीडीआई परिसरों की स्थापना को मंजूरी दी है। स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार, एफडीडीआई सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के सभी प्रासंगिक प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश/दिशानिर्देशों का पालन करेगा। चूंकि संस्थान को नए परिसरों के निर्माण एवं विकास पर सरकार से पूंजी अनुदान प्राप्त हो रहा है, इसलिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) मैनुअल के प्रावधान भी लागू हैं।

पूंजी गहन कार्यों को निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम देने से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल की धारा **32.5** के प्रावधान में कहा गया है कि:

- **2** करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुछ विशेष और पूंजी गहन कार्यों के संबंध में, किसी विशेष कार्य को विशेष और पूंजी गहन माना जाएगा या नहीं, यह सावधानीपूर्वक विवेक पर निर्भर करेगा।
- निविदा राशि के **10** प्रतिशत तक सीमित मोबिलाइजेशन अग्रिम **10** प्रतिशत साधारण ब्याज पर ठेकेदारों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अनुरोध पर मंजूर किया जा सकता है।
- अग्रिम राशि कम से कम दो किस्तों में जारी की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि संस्थान ने सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल से मोबिलाइजेशन अग्रिम के प्रावधानों को अपनाते समय **10** प्रतिशत साधारण ब्याज वसूलने से संबंधित प्रावधान को शामिल नहीं किया है। ठेकेदारों को प्रदान किए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(in Rs. crore)

S. No.	Name of the work	Name of the Contractor	Status of Award	Contract Value	Mobilization Advance
1	Construction-Hyderabad	Bhavya Creators Pvt. Ltd.	Empaneled	70.66	7.07
2	Construction-Patna	Bhavya Creators Pvt. Ltd.	Empaneled	70.23	7.02
3	Construction-Gujrat	M/s Goldman developers Ltd.	Empaneled	67.02	6.70
4	Construction-Punjab	Anurag Enterprises	Empaneled	68.97	6.90
5	Construction-Chhindwara	Bhavya Creators Pvt. Ltd.	Open Tender	54.38	5.44
6	Construction-Guna	Anurag Enterprises	Open Tender	69.95	6.99
7	Noida New Building	Anurag Enterprises	Open Tender	15.55	1.56
8	Furniture-Guna	JPG Engineers Pvt. Limited	Open Tender	2.97	0.30
9	Furniture-Hyderabad	M/s Royal Safe Company	Open Tender	5.05	0.50
10	Furniture-Gujrat	JPG Engineers Pvt. Limited	Open Tender	4.58	0.46
11	Interior- Guna	JPG Engineers Pvt. Limited	Open Tender	4.74	0.48
12	Interior-Gujrat	Vastu Sadan	Open Tender	5.75	0.58
13	Interior-Hyderabad	JPG Engineers Pvt. Limited	Open Tender	5.81	0.58
14	Interior-Punjab	Manu Lal and Sons	Open Tender	5.53	0.55
Total				**451.19**	**45.13**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संस्थान ने विभिन्न ठेकेदारों को 45.13 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि प्रदान की है, जिनमें से अधिकांश संस्थान द्वारा सूचीबद्ध थे। इसके अलावा, सभी अग्रिम कम से कम दो किस्तों के निर्धारित मानदंड के विपरीत एक ही किस्त में जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा जांच में आगे पता चला कि मोबिलाइजेशन अग्रिम को सिविल निर्माण से लेकर फर्नीचर कार्य और इंटीरियर और फर्निशिंग कार्य की आपूर्ति तक के कार्यों के लिए दिया गया था और संस्थान ने विवेक का प्रयोग नहीं किया है कि क्या किसी विशेष कार्य को विशिष्ट और पूंजी गहन माना जाएगा।

इस प्रकार, निविदा दस्तावेज में ब्याज खंड की अनुपस्थिति में 45.13 करोड़ रुपये की मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि प्रदान करना सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान को 4.60 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई

तथ्यों का विवरण
फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई),
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सीवीसी और सीपीडब्ल्यूडी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस प्रदान करने के कारण 4.62 करोड़ रुपये की हुई परिहार्य हानि ।

ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते करते समय, सरकारी संस्थाओं/विभागों को सरकार के हितों की रक्षा करना आवश्यक है। केंद्र सरकार के कोड और मैनुअल के माध्यम से निर्धारित पूर्व निर्धारित मानदंड और मानक ऐसे सुरक्षा उपायों का आधार बनते हैं। इसके अलावा, सरकारी संगठन से यह अपेक्षित है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (मंत्रालय)। फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान (संस्थान) के एक नियंत्रक मंत्रालय ने जून 2012 और फरवरी 2014 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में छह स्थानों पर एफडीडीआई परिसरों की स्थापना को मंजूरी दी और मंजूरी दी। मंत्रालय ने जनवरी 2014 में मौजूदा परिसरों में कैंपस नेटवर्किंग सेंटर (सीएनसी) की स्थापना को भी मंजूरी दी। मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुसार। एफडीडीआई सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के सभी प्रासंगिक प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश/दिशानिर्देशों का पालन करेगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निविदा दस्तावेज में ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस निर्धारित करने का निर्णय संगठनों में बोर्ड (वित्त की सहमति के साथ) के स्तर पर होना चाहिए। इसके अलावा, सीवीसी ने कहा है कि ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, और यदि प्रबंधन को लगता है कि यह विशिष्ट मामलों में आवश्यक है, तो इसे निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और इसकी वसूली समय आधारित होनी चाहिए और इसे कार्य की प्रगति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के अग्रिम का दुरुपयोग कम किया जा सके। इसके अलावा, मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए ली गई बैंक गारंटी अग्रिम का कम से कम 110 प्रतिशत होनी चाहिए और मोबिलाइजेशन एडवांस का भुगतान दो किस्तों से कम में नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय विशेष परिस्थितियों के, जिसके कारण दर्ज किए जाने चाहिए।

इसके अलावा, पूंजीगत गहन कार्यों को निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम देने से संबंधित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) कार्य मैनुअल की धारा 32.5 के प्रावधानों में कहा गया है कि निविदा राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित मोबिलाइजेशन अग्रिम 10 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ठेकेदारों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अनुरोध पर मंजूर किया जा सकता है और ऐसा अग्रिम दो किस्तों से कम नहीं जारी किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्थान ने सीपीडब्ल्यूडी के दिशानिर्देशों और दिल्ली अनुसूचियों की दर (डीएसआर) के मैनुअल के आधार पर अपनी निविदा को अंतिम रूप दिया है। निविदा दस्तावेज के अनुसार, संस्थान ने सीवीसी और सीपीडब्ल्यूडी के उपर्युक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनुबंध मूल्य पर 10 प्रतिशत का मोबिलाइजेशन अग्रिम को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में शामिल किया है।

उपरोक्त छह परिसरों के निर्माण और मौजूदा परिसरों में सीएनसी की अवधि के दौरान, एफडीडीआई ने निर्माण कार्यों, आंतरिक कार्यों और फर्नीचर कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों (जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है) को 45.13 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि उपलब्ध कराई है।

(करोड़ रुपये में)

Sr. No.	Name of the work	Name of the Contractor	Contract Value	Mobilization Advance
	Construction Works			
1	Hyderabad campus	Bhavya Creators Pvt. Ltd	70.66	7.07
2	Patna campus	Bhavya Creators Pvt. Ltd	70.23	7.02
3	Gujarat campus	Goldman developers Ltd.	67.02	6.7
4	Punjab campus	Anurag Enterprises	68.97	6.9
5	Chhindwara campus	Bhavya Creators Pvt. L.td.	54.3	5.44
6	Guna campus	Anurag Enterprises	69.95	6.99
7	Noida New Building	Anurag Enterprises	15.55	1.56
	Furniture Works			
8	Hyderabad campus	Royal Safe Company	5.05	0.5
9	Gujarat campus	JPG Engineers Pvt. Limited	4.58	0.46
10	Guna campus	JPG Engineers Pvl. Limited	2.97	0.3
	Interior Works			
11	Hyderabad campus	JPG Engineers Pvt. Limited	5.81	0.58
12	Gujarat campus	Vastu Sadan	5.75	0.58
13	Punjab campus	Manu Lal and Sons	5.53	0.55
14	Guna campus	JPG Engineers Pvt. Limited	4.74	0.48
Total			451.19	45.13

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने अपने बोर्ड यानी संस्थान की गवर्निंग काउंसिल से मंजूरी लिए बिना ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस प्रदान करके मोबिलाइजेशन एडवांस पर सीवीसी दिशा-निर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी कार्य मैनुअल का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, निर्माण, इंटीरियर और फर्नीचर की आपूर्ति से संबंधित कार्यों में मोबिलाइजेशन एडवांस प्रदान किया गया था और इस प्रकार अपने विवेक का उपयोग नहीं किया कि क्या किसी विशेष कार्य को विशेष और पूंजी गहन माना जाएगा। संस्थान ने कम से कम दो किस्तों के निर्धारित मानदंड के विरुद्ध एक ही किस्त में मोबिलाइजेशन एडवांस जारी किया है। संस्थान सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर मोबिलाइजेशन एडवांस की वसूली को न जोड़कर अपने हितों की रक्षा करने में भी विफल रहा है, इसके बजाय इसे कार्य की प्रगति के साथ जोड़ा है, इस प्रकार यह सुनिश्चित नहीं किया है कि ठेकेदार धीमी गति से काम नहीं कर रहा है और इस तरह के अग्रिम का दुरुपयोग नहीं कर रहा है। संस्थान ने 10 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड के विरुद्ध मोबिलाइजेशन एडवांस के 100 प्रतिशत पर बैंक गारंटी भी ली है, जिससे संस्थान को न केवल मूल राशि बल्कि यदि आवश्यक हो तो ब्याज का हिस्सा भी वसूलने में मदद मिलती।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्थान ने न केवल 45.13 करोड़ रुपये की राशि के मोबिलाइजेशन एडवांस देने पर विभिन्न सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, बल्कि इसके निविदा दस्तावेज में ब्याज मुक्त खंड ने सीपीडब्ल्यूडी दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन किया है, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान को 4.62 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई है (अनुलग्नक के अनुसार चालू खाता बिलों से समायोजन के बाद बकाया शेष पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से गणना की गई है)।

निदेशक (बीमा)

विभाग का उत्तर

निविदा दस्तावेजों का खंड 67 (सी) जो मोबिलाइजेशन अग्रिम को कवर करता है, इस प्रकार है: ठेकेदार को अनुबंध मूल्य का 10% ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाएगा। अग्रिम का भुगतान ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुमोदित निजी बैंक से बैंक गारंटी के विरुद्ध किया जाएगा। मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली निष्पादित कार्य से पहले अंतरिम प्रमाण पत्र से शुरू होने वाले प्रत्येक चालू बिल से आनुपातिक आधार पर की जाएगी और पूरी वसूली भुगतान के अंतिम प्रमाण पत्र द्वारा पूरी की जाएगी। प्रस्तुत बैंक गारंटी अनुबंध में निर्धारित पूरे कार्य के पूरा होने की तारीख तक वैध होगी जब तक कि अग्रिम की वसूली नहीं हो जाती। मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली प्रत्येक चालू बिल से 12% की दर से की जाएगी जब तक कि यह पूरी तरह से वसूल न हो जाए। हालांकि, अनुबंध मूल्य के 90% के भुगतान से पहले मोबिलाइजेशन अग्रिम की पूरी वसूली की जाएगी। इस खंड के अनुसार, ठेकेदारों को उसी राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर निविदा राशि का 10% ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था। अग्रिम राशि बाद में ठेकेदार के चालू बिलों से वसूल की गई।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मोबिलाइजेशन एडवांस केवल तभी दिया जाना चाहिए जब आवश्यक हो और बोर्ड की उचित मंजूरी के साथ। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि ऐसे अग्रिम के लिए ली गई बैंक गारंटी अग्रिम राशि का कम से कम 110 प्रतिशत होनी चाहिए और सामान्य परिस्थितियों में ऐसा अग्रिम दो किस्तों से कम में जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूंजी गहन कार्यों को निष्पादित करने वाले ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन एडवांस 10 प्रतिशत साधारण ब्याज पर निविदा राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए और दो किस्तों से कम में जारी नहीं किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि निविदा दस्तावेज का खंड 67 (सी) उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है और इस निविदा खंड का सहारा लेने से ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस जारी करने के कारण 4.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हालांकि, बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा इन गलतियों को प्रकाश में लाए जाने के बाद, एफडीडीआई ने मोबिलाइजेशन एडवांस देना बंद कर दिया।

जारी किया गया ड्राफ्ट पैरा

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई),

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देशों का पालन न करना और लेखापरीक्षा के कहने पर उस पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान ने सीवीसी दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप 4.62 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई।

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (संस्थान) के नियंत्रक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जून 2012 से फरवरी 2014 के बीच देश भर में छह स्थानों1 पर फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) परिसरों की स्थापना को मंजूरी दी, इस शर्त के साथ कि संस्थान को सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के सभी प्रासंगिक प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। मंत्रालय ने जनवरी 2014 में मौजूदा परिसरों में कैंपस नेटवर्किंग सेंटर (सीएनसी) की स्थापना को भी मंजूरी दी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने समय-समय पर मोबिलाइजेशन अग्रिम पर परिपत्र[1] जारी किए हैं। परिपत्रों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- निविदा दस्तावेज में ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने का निर्णय संगठनों में बोर्ड (वित्त की सहमति के साथ) के स्तर पर होना चाहिए।

- ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, और यदि प्रबंधन को लगता है कि यह विशिष्ट मामलों में आवश्यक है, तो इसे निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और इसकी वसूली समय आधारित होनी चाहिए और कार्य की प्रगति से जुड़ी नहीं होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के अग्रिम का दुरुपयोग कम किया जा सके।

- मोबिलाइजेशन अग्रिम के लिए ली गई बैंक गारंटी अग्रिम का कम से कम 110 प्रतिशत होनी चाहिए और मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान दो किस्तों से कम में नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय विशेष परिस्थितियों में दर्ज किए जाने वाले कारणों के।

[1] ***CVC Circular No. 4CC-1-CTE2 dated 10 April 2007 and 5 February 2008***

इसी प्रकार, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) कार्य नियमावली में भी मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। सीपीडब्ल्यूडी नियमावली की धारा 32.5 के अनुसार, ठेकेदारों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अनुरोध पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज पर निविदा राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित मोबिलाइजेशन अग्रिम मंजूर किया जा सकता है और ऐसा अग्रिम कम से कम दो किस्तों में जारी किया जाना चाहिए। संस्थान ने सीपीडब्ल्यूडी दिशा-निर्देशों और दिल्ली अनुसूची दर (डीएसआर) के नियमावली के आधार पर अपने निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया। निविदा दस्तावेज के अनुसार, अनुबंध मूल्य पर 10 प्रतिशत का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान किया जाना था। तदनुसार, एफडीडीआई ने अक्टूबर 2012 से जुलाई 2016 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों (जैसा कि परिशिष्ट XIV में विस्तृत है) को निर्माण कार्यों, आंतरिक कार्यों और फर्नीचर कार्यों के लिए एक ही किस्त में 45.13 करोड़ रुपये का मोबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्थान ने सी.वी.सी. के दिशा-निर्देशों और सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्य मैनुअल का अनुपालन नहीं किया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- संस्थान के बोर्ड यानी गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी के बिना ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया।

- मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान दो किस्तों से कम नहीं के निर्धारित मानदंड के विरुद्ध एक ही किस्त में किया गया।

- मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली समय आधारित वसूली के बजाय चालू बिलों के भुगतान से की गई।

- संस्थान ने 110 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड के विरुद्ध मोबिलाइजेशन अग्रिम के 100 प्रतिशत पर बैंक गारंटी स्वीकार की।

इस प्रकार, सीवीसी दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल का अनुपालन न करने के कारण संस्थान को 4.62 करोड़ रुपये की ब्याज हानि हुई (चालू खाता बिलों से समायोजन के बाद बकाया शेष राशि पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से गणना की गई)। प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया (दिसंबर 2019) और कहा कि संस्थान ने मोबिलाइजेशन अग्रिम देना बंद कर दिया है।

अनुलग्नक ओ

सत्यमेव जयते

Report of the Comptroller and Auditor General of India

For the year ended 31 March 2019

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Union Government (Economic & Service Ministries–Civil)
No. 10 of 2020
(Compliance Audit Observations)

CHAPTER II: MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Footwear Design and Development Institute

2.1 *Non-compliance of guidelines of Central Vigilance Commission and Central Public Works Department and corrective action taken thereon at the instance of Audit*

Footwear Design and Development Institute paid interest free mobilisation advance to contractors in violation of CVC guidelines and CPWD Manual which led to avoidable loss of ₹4.62 crore.

Ministry of Commerce and Industry, the controlling Ministry of Footwear Design and Development Institute (Institute) approved the establishment of Footwear Design and Development Institute (FDDI) campuses between June 2012 and February 2014 at six locations[1] across the country with the condition that the Institute should adhere to all the relevant provisions of General Financial Rules (GFR) and any other instructions/ guidelines issued by Government from time to time. The Ministry also approved the establishment of Campus Networking Centre (CNC) at existing campuses in January 2014.

Central Vigilance Commission (CVC) issued circulars[2] on mobilisation advance from time to time. The circulars stipulate the following:

- Decision to provide interest free mobilisation advance in the tender document should rest at the level of Board (with concurrence of finance) in the organisations.
- Payment of interest free mobilisation advance should be discouraged, and if Management feels it is necessary in specific cases, then it should be clearly stipulated in the tender document and its recovery should be time based and not linked with progress of work to ensure that misuse of such advance could be reduced.
- The bank guarantee taken towards mobilisation advance should be at least 110 *per cent* of the advance and the mobilisation advance should not be paid in less than two instalments except in special circumstances for the reasons to be recorded.

Similarly, Central Public Works Department (CPWD) Works Manual has also stipulated guidelines for payment of mobilisation advance. As per Section 32.5 of CPWD Manual, mobilisation advance limited to 10 *per cent* of tendered amount at 10 *per cent* simple interest can be sanctioned to the contractors on specific request as per terms of the contract and such advance should be released in not less than two instalments.

---

[1] *Hyderabad (Telangana), Patna (Bihar), Ankaleshwar (Gujarat), Chandigarh, Chindwara (Madhya Pradesh) and Guna (Madhya Pradesh)*

[2] *CVC Circular No. 4CC-1-CTE2 dated 10 April 2007 and 5 February 2008*

The Institute finalised its tender documents on the basis of CPWD Guidelines and Manuals of Delhi Schedule of Rate (DSR). As per the tender document, interest free mobilisation advance of 10 *per cent* on the contract value was to be paid. Accordingly, FDDI paid mobilisation advance of ₹45.13 crore during October 2012 to July 2016 to different contractors (as detailed in **Appendix XIV**) towards construction works, interior works and furniture works in single instalment.

Audit observed that the Institute did not comply with the CVC guidelines and CPWD Works Manual on mobilisation advance as detailed below:

- Interest free mobilisation advance was paid without approval of Board i.e. Governing Council of the Institute.
- Mobilisation advance was paid in single instalment against the prescribed norm of not less than two instalments.
- Recovery of mobilisation advance was made from the payments towards running bills instead of time based recovery.
- Institute accepted bank guarantee at 100 *per cent* of the mobilisation advance against the prescribed norm of 110 *per cent*.

Thus, non-compliance to CVC Guidelines and CPWD Manual led to avoidable interest loss of ₹4.62 crore to the Institute (calculated @ 10 *per cent* simple interest on the outstanding balances after adjustment from running account bills).

The Management accepted (December 2019) the Audit observations and stated that the Institute had stopped giving mobilisation advance.

Audit appreciates the action taken by the Management and this would be verified during future audits. However, the fact remained that not adhering to CVC Guidelines and CPWD Manual while granting interest free mobilisation advance led to avoidable loss of ₹4.62 crore.

The matter was referred to the Ministry in January 2020; their reply was awaited (May 2020).

Marine Products Export Development Authority

2.2 *Unfruitful expenditure in mangrove crab project*

Ineffective implementation and poor monitoring of mangrove crab project resulted in unfruitful expenditure of ₹1.28 crore.

The Forest Department, Government of Maharashtra (GoM) planned (December 2013) to implement a GOI-UNDP-GEF[3] project (funded by UNDP) on 'Mainstreaming Coastal and Marine Biodiversity Conservation into Production Sectors in Sindhudurg Coast in

[3] *Government of India-United Nations Development Programme-Global Environment Facility*

Appendix-XIV

(Referred to in Para 2.1)

Details of Mobilisation Advance to different contractors towards Construction Works, Interior Works and Furniture Works

(₹ in crore)

Sl. No.	Name of the Works	Name of the Contractor	Contract Value	Mobilisation Advance
	Construction Works			
1.	Hyderabad campus	Bhavya Creators Pvt. Ltd.	70.66	7.07
2.	Patna campus	Bhavya Creators Pvt. Ltd.	70.23	7.02
3.	Gujarat campus	Goldman developers Ltd.	67.02	6.7
4.	Punjab campus	Anurag Enterprises	68.97	6.9
5.	Chhindwara campus	Bhavya Creators Pvt. Ltd.	54.38	5.44
6.	Guna campus	Anurag Enterprises	69.95	6.99
7.	Noida New Building	Anurag Enterprises	15.55	1.56
	Furniture Works			
8.	Hyderabad campus	Royal Safe Company	5.05	0.5
9.	Gujarat campus	JPG Engineers Pvt. Limited	4.58	0.46
10.	Guna campus	JPG Engineers Pvt. Limited	2.97	0.3
	Interior Works			
11.	Hyderabad campus	JPG Engineers Pvt. Limited	5.81	0.58
12.	Gujarat campus	VastuSadan	5.75	0.58
13.	Punjab campus	Manu Lal and Sons	5.53	0.55
14.	Guna campus	JPG Engineers Pvt. Limited	4.74	0.48
		Total	**451.19**	**45.13**